भारत सरकार

रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 64 /2013

सं. पीसी-III/2012/एफई-II/2 नई दिल्ली, दिनांक: 3.07.2013

महाप्रबंधक एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि।
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों का जूनियर इंजीनियर/रेलपथ के साथ मर्जर।

वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों (पीबी-2, ग्रेड पे 4200 रुपए) के जूनियर इंजीनियर (रेलपथ) के साथ मर्जर के मुद्दे को दोनों फेडरेशनों (एआईआरएफ/एनएफआईआर) ने पीएनएम में उठाया था। तदनुसार रेलों पर स्टाफ व्यवस्था के पैटर्न को सुदृढ़ करने और उसे युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से रेल मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों (पीबी-2, ग्रेड पे 4200 रुपए) को सामूहिक रूप से जूनियर इंजीनियर/रेलपथ (पीबी-2 ग्रेड पे 4200 रुपए) के साथ मर्ज करने के मुद्दे की जांच की गई। कार्यात्मक, परिचालनिक तथा प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप यह विनिश्चय किया गया कि पीबी-2, ग्रेड पे 4600 रुपए के उच्चतर ग्रेड में विस्तारित प्रभाव सहित पीबी-2, ग्रेड पे 4200 रुपए में वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षक के सभी नियमित पदों (सरप्लस, अतिरिक्त और संवर्ग बाह्य पदों को छोड़कर) को सामूहिक रूप से जूनियर इंजीनियर (रेलपथ) के संवर्ग में मर्ज कर दिया जाए।

2. एसएसई (रेलपथ) के पद के लिए विस्तारित प्रभाव के साथ वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों का जूनियर इंजीनियर/रेलपथ के साथ मर्जर का यह समूचा कार्य स्व-वित्तपोषित होगा और व्यय की स्थिति न्यूटरल रहेगी। अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन प्रत्येक पद के मामले में लागू महंगाई भत्ते सहित संशोधन पूर्व वेतनमान (5वे केन्द्रीय वेतन आयोग) के मध्य बिन्दु के अनुरूप फिटमेंट तालिका में दिए गए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे सहित संशोधित मूल वेतन को ध्यान में रखकर किया जाए। वित्तीय फलितार्थों का आकलन करने के बाद इस कोटि से ही मैचिंग सेविंग की जाए। जहां कहीं इस कोटि से ऐसा करना संभव न हो, वहां मैचिंग सेविंग की व्यवस्था मंडल/रेलवे स्तर पर विभाग से की जाए। समतुल्य वित्तीय मूल्य के पदों को सरेंडर करते समय वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों का जूनियर

इंजीनियर/रेलपथ के साथ मर्जर तथा एसएसई (रेलपथ) के पद के लिए इसके विस्तारित प्रभाव की लागत को संतुलित करने के प्रयोजन के लिए कट ऑफ तारीख को इस कोटि में उपलब्ध मौजूदा रिक्त पदों पर भी विचार किया जाए। पदों के सरेंडर द्वारा मैचिंग सेविंग किए बिना एसएसई (रेलपथ) के पद के लिए इसके विस्तारित प्रभाव के साथ वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों का जूनियर इंजीनियर/रेलपथ के साथ कोई मर्जर नहीं किया जाएगा।

3. ये आदेश, इन आदेशों को जारी करने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. इसे इस मंत्रालय के सिविल इंजीनियरिंग एवं स्थापना निदेशालयों के परामर्श से और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

5. कृपया पत्र की पावती दें।

(हरि कृष्ण)
निदेशक, वित्त आयोग-II
रेलवे बोर्ड

सं. पीसी-III/2012/एफई-II/2 नई दिल्ली, दिनांक: 03.07.2013

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा (रेलें) को (40 प्रतियों सहित) अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें